पत्रांक–12/नियम–03–01/2019.....842.....

(183)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा),
झारखण्ड, रांची।

सेवा में,

उपायुक्त, गोड्डा।
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
गोड्डा।

राँची, दिनांक 28.05.2020

विषयः– **संगीत शिक्षक नियुक्ति हेतु प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद एवं प्राचीन कला केन्द्र, चण्डीगढ़ द्वारा प्रदत्त डिग्री की मान्यता के संबंध में।**

प्रसंगः– **निदेशालीय पत्रांक–2048 दिनांक–31.07.2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2015 के कंडिका 9(I)(iv) में संगीत शिक्षक की नियुक्ति हेतु अहर्त्ता निम्नवत् निर्धारित है :-

"संगीत शिक्षक के लिये राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता आवश्यक होगी।"

जहाँ तक संगीत शिक्षक की नियुक्ति हेतु प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद एवं प्राचीन कला केन्द्र, चण्डीगढ़ द्वारा प्रदत्त डिग्री की मान्यता का प्रश्न है, तो इस संदर्भ में उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड के माध्यम से प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद के संदर्भ में प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अंग नहीं है। प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद एवं प्राचीन कला केन्द्र, चण्डीगढ़ का नाम केन्द्र, राज्य अथवा UGC के वेबसाईट पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों की सूची में भी शामिल नहीं है। स्पष्टतः यह मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है।

अतएव सरकार के स्तर से सम्यक् विचारोपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षक नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता के अनुसार उक्त दोनों संस्थानों द्वारा प्रदत्त उपाधिधारक अभ्यर्थी संगीत शिक्षक की नियुक्ति हेतु अहर्त्ता नहीं रखते हैं।

विश्वासभाजन

28/05/2020

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखण्ड, रांची।

Scanned with CamScanner

(182)

ज्ञापांक :- 12/नियम-03-01/2019 842/ रांची, दिनांक 28.5.2020/

प्रतिलिपि :- सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद एवं प्राचीन कला केन्द्र, चण्डीगढ़ (गैर मान्यता प्राप्त) की डिग्री के आधार पर जिन जिला में गलत नियुक्ति की गई है उन फर्जी डिग्रीधारी को शीघ्र कार्यमुक्त किया जाय। साथ ही गलत नियुक्ति करने वाले दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर सूचित किया जाय।

28/05/2020

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :- 12/नियम-03-01/2019 842/ रांची, दिनांक 28.5.2020/

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

28/05/2020

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :- 12/नियम-03-01/2019 842/ रांची, दिनांक 28.5.2020/

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरोजिनी कुमारी सिंह, अवर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी ऑनलाईन सर्विसेस, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय पोर्टल में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/05/2020

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखण्ड, राँची।

Scanned with CamScanner